22

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

III निगरानी सीधी भू.रा 2017 3289

प्रकरण क्र. /निगरानी/2017– सीधी

1. रंगनाथ कोल पुत्र श्री अनन्दे कोल
2. लाला कोल पुत्र श्री झरियारी कोल
3. कुंआरे कोल पुत्र श्री मोहन कोल

समस्त निवासीगण– नौगवां धीर सिंह, तहसील गोपद बनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

.....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार गिर्द II तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 161/ए74/2011–12 आदेश दिनांक 21.06.2017 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि 23.07.2017 को प्राप्त हुई।

माननीय न्यायालय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

यहकि, ग्राम नौगवां धीर सिंह की विवादित आराजी खसरा नं. पुराना 402/0.51, 428/0.54 भूमि का विधि विरूद्ध रूप से राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टि हो गयी थी को दुरूस्त करने हेतु आवेदन लगाया उस आवेदन को निरस्त किया के विरूद्ध यह निगरानी आवेदन पत्र नकल प्राप्ति दिनांक से समय सीमा में होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

निगरानी के आधार निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान, क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, विवादित आराजी निगरानीकर्तागणों के पूर्वजों से प्राप्त होकर हमलोगों पर द्वारा वारिसान के आई है। एवं हम निगरानीकर्तागण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/3289

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण क्र. 171/अ-74/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	